

पत्रांक: 12/78-28/10 अम - 1119  
 विद्यार्थ संचालक  
 मानव संसाधन विकास विभाग

दिनांक

प्रकाश चन्द्र शिवा  
 संयुक्त सचिव

पता में

श्री अशोक पाण्डे,  
 अध्यक्ष,  
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
 शिक्षा भवन-2, कानपुरमिडी रोड,  
 नई दिल्ली - 110092।

पटना दिनांक 5/12/19

विषय: नेटवर्क एईईवमी, एनएटीएनएईई, बाइ, पटना को अनागति प्रमाण-पत्र  
 निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ:

उपरोक्त विभाग के पत्रांक में निदेशानुसार सूचित करना है कि संलग्नी अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 13.04.2008 के अन्तर्गत में पत्रिका शिक्षा प्रदायिकाएँ, पटना से प्राप्त जॉब प्रोविडन एण्ड विद्यालय प्रबंधन को द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सहीत विभागीय सचिवों द्वारा की गई तथा नेटवर्क एईईवमी, एनएटीएनएईई, बाइ पटना को एनएटीएनएईई नई दिल्ली से सम्बद्धत हेतु अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है। सचिवों की अनुमति के अन्तर्गत में संशोधन/संशोधन किन्हीं निम्नवत् हैं -

1. यह विद्यालय नेटवर्क सॉफ्टवेयर को अग्रणी संचालित है। इस टूल में किसी एक व्यक्ति/व्यक्ति का प्रमुख नहीं है। सॉफ्टवेयर को प्रयोग-स्तर पर नोट दिया गया है तथा साथ-साथ भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निश्चित सॉफ्टवेयर/प्लग इन सॉफ्टवेयरों अथवा किन्हीं विद्यालय के वेब पेज उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को एनएटीएनएईई, बाइ में परिवार में 4 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपकरण, बुकशालाएँ एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्कूल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की अभावपूर्ण संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुकूल हैं।
4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति लगातार पाठ में विद्यालय निरन्तर चिह्नित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है परन्तु ऐसा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्यालय में यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पर्यवेक्षण करने गईं हैं। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। एनएटीएनएईई, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता परीक्षण राष्ट्रीय अन्वेषक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुकूल है।
5. विद्यालय में हिन्दी अधिस्तरीय रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकन एवं वार्षिक प्रोविडन प्रयोग कार्यक्रमों करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासनों को अनुकूल कार्रवाई करे एवं एनएटीएनएईई, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय को द्वारा चिह्नित रूप में संशोधन की गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 13.04.2008 में पर्यवेक्षण अधिनियम लागू नहीं करेगा है। अधिनियम लागू के अनुकूल -
  - (i) विद्यालय में स्कूल का 25 अधिस्तरीय वास्तविक परीक्षा में विद्यमान करने वाले अधिकारी के बच्चों का नियुक्त किया जायेगा तथा उनमें दृष्टान्त शुल्क अथवा किन्हीं अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की संख्या में

अनुमति जारी, जनशक्ति, विद्युत एवं वायुसंचयन विभागों को सूचित कर समस्त कार्य को संचालित करने की उच्च अधिकार 20,000/- रुपये प्रदान की जायेगी।

- (a) विद्यालय में नर्सरी/केंद्रीय अथवा प्राथमिक कक्षा में समकाल के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/समावेश (अथवा एन मास/मिड सीडिंग) नहीं किया जायेगा। प्रवेश समावेश के लिए आवेदन/सिद्धिगत समता से अधिक हो तो सुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से समावेश के लिए बच्चे का चयन किया जायेगा।
- (b) नर्सरी/केंद्रीय अथवा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय में आवेदन की दृष्टि अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में समावेश हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक होगी।
- (c) जिस बच्चे का समावेश नहीं होता है उसका जो नई आवेदन मुख्य की राशि का 80 प्रतिशत प्रति वर्ष जोड़ने की व्यवस्था होगी।

3. यह भी कि विद्यालय का निर्देशन विभागीय पर्यवेक्षकियों के द्वारा किया गया है कि कि-सी सी-बी-एन-सी-ई, नई दिल्ली अपने तार से जीप कर का सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनसे निर्धारित मासिक के अन्तर्गत पर संचालित है।

4. सचिव डी सीई को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा जल्दी समस्त के अनुसूचित अतिथियों एवं अतिथित छात्रों का अनुपालन किया जा रहा है। तब तक जो यह कार्य संपूर्णतया नहीं होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोमोशन एवं वेबसाइट में करके होगा। छात्रों के उत्तरादन की स्थिति में अभावकी प्रमाण-पत्र तथा ले-लिखा जायेगा तथा सम्बन्धित रक करने की कार्यवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-48, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को सार्वजनिक चयन नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निचली पर्यवेक्षकों के द्वारा निर्देशन हेतु किसी भी कार्य सुचारु रहेगा।

12. उपरोक्त कार्य को आदेशों से तथा संबंधित कार्य के अन्तर्गत पर नोटेशन एंडटमी एन-टी-सी-बी-सी, सचिव, पटना को सी-बी-एन-सी-ई, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु उपलब्धि दी जायेगी।

**अनुसूचना** - जिला शिक्षा पर्यवेक्षक, पटना का जीव प्रतिवेदन संलग्न।

सिधार्थ कुमार,  
E.O.

**(प्रकाश चन्द सिंह)**

सचिव

राज्य सहायक शिक्षा विभाग,  
बिहार

तारीख 11/12

पटना, दिनांक 15/12/08

**प्रतिनिधि** - जिला शिक्षा पर्यवेक्षक, पटना को एन-टी-सी-बी-सी-ई दिनांक 24.06.09 के पत्र में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

E.O. -

**सचिव**

राज्य सहायक शिक्षा विभाग,  
बिहार

तारीख 11/12

पटना, दिनांक 15/12/08

**प्रतिनिधि** - प्रचार, नोटेशन एंडटमी एन-टी-सी-बी-सी, सचिव, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

**सचिव**

राज्य सहायक शिक्षा विभाग,  
बिहार